दैनिक भास्कर

पटना, बुधवार, 10 जुलाई, 2019 | 5

पुराने फ्लैटों की रजिस्ट्री में रेरा निबंधन की अनिवार्यता पर सरकार जल्द लेगी फैसला

रेरा के लागू होने के बाद रीयल इस्टेट सेक्टर में आई है पारदर्शिता

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

सरकार रीयल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू होने से पहले पूरे हो चुके फ्लैट की रजिस्ट्री में रेरा के निबंधन की अनिवार्यता पर जल्द निर्णय लेगी। इसके लिए निबंधन कानून में संशोधन किया जाएगा। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुउल्लाह ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल रेरा में निबंधित प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री की जा रही है। इसके कारण ऐसे प्रोजेक्ट के खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो राज्य में रेरा के लागू होने के पहले पूरे हो चुके थे और किसी कारणवश उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि रीयल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू होने के बाद रीयल इस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। राज्य में मई, 2017 में रेरा को लागू किया गया, जबकि दो अप्रैल, 2018 से रेरा का गठन किया गया। रेरा एक्ट के प्रभावी होने के बाद ऐसे 500 वर्गमीटर या आठ फ्लैटों से ज्यादा के रेसीडेंसियल, कॉमर्शियल और मिक्स्ड प्रोजेक्ट का निबंधन जरूरी है। एक साल की अवधि में रेरा अबतक राज्य में चल रहे 683 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 344 के निबंधन की प्रक्रिया चल रही है।

अबतक मात्र 200 एजेंटों का हुआ निबंधन

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने कहा कि हर प्रोजेक्ट को तीन महीने में अपने आय-व्यय की विवरणी जमा करनी होगी। वहीं एक साल पर प्रोजेक्ट की प्रगति की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। एक्ट के प्रभावी होने के बाद अभी तक कुल 438 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 70 मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 344 मामलों में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन कराए चल रहे 372 मामलों में नोटिस किया है। संवाददाता सम्मेलन में रेरा के सदस्य एसबी सिन्हा ने कहा कि प्रोजेक्ट की राशि डाइवर्ट करने के मामलों की जांच के लिए जल्द ही टीम का गठन किया जाएगा। रेरा के तहत रीयल इस्टेट एजेंट का निबंधन अनिवार्य है। अबतक मात्र 200 एजेंटों का निबंधन हुआ है।